20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

147

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण निग - 3895 - I-16

1. राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व.श्री किशनलाल अग्रवाल

2. सरोज पुत्री शिवचरनलाल पत्नी आर.के. अग्रवाल

निवासीगण–जीवाजी गंज, मुरैना हाल निवासी–दाल बाजार लश्कर ग्वालियर म.प्र.

विरुद्ध

1. भरत सिंह

2. भौरे सिंह

3. करतार सिंह पुत्रगण सहाब सिंह

4. रघुवीर सिंह पुत्र द्वारा उत्तराधिकारी स्वार्थी नाबालिग पुत्री लखनकुंवर सिंह द्वारा सरपरस्त बाबा सहाब सिंह पुत्र गादी लाल सिंह गुर्जर

5. सहाब सिंह पुत्र गादी लाल सिंह गुर्जर

निवासीगण ग्राम–जरेरुआ, डाल निवासी–ग्राम छौंदा तहसील व जिला मुरैना म.प्र.

6. विधु पत्नी [illegible]

निवासी ग्वालियर [illegible] की [illegible] मुरैना

7. किरण देवी पत्नी शिवराज

8. हेमलता पत्नी ज्ञानेन्द्र सिंह गुर्जर

निवासी–पुरानी [illegible] कॉलोनी मुरैना

रस्त० के० वाजपेयी, आ०म० 17-10-16

17-10-16

985 17-10-16

न्यायालय तहसीलदार वृत–3 तहसील–मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2014–15/अ 27 में पारित आदेश दिनांक 08–08–2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

17-10-16

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

1. यह कि, तहसील न्यायालय का विवादित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है

R- 3595-I/16

जिला- मुरैना

20/6/17

आवेदक अधिवक्ता श्री ए.एम. के. वाजपेयी उपस्थित होकर निवेदन किया कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं थी। अतः पुनः यह प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है।

हस्ताक्षर

20/6/17

[कृ. प. उ.